

कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, धौलपुर

धौलपुर जिले की वर्तमान परिवहन व्यवस्था

1. जिला एक नजर में

क्षेत्रफल वर्ग कि. मी.	जनसंख्या	पंजीकृत वाहन	उपखण्ड	तहसीलें	पंचायत समिति	नगर पालिकाएँ	ग्राम पंचायतें	राजस्व ग्राम
3033	983258	4	5	4		153	821	

2. सडकें

क्र.सं.	राष्ट्रीय राज मार्ग	राज्य उच्च मार्ग	मुख्य जिला सडक	अन्य जिला सडके	ग्रामीण सडकें	कुल लम्बाई
कुल संख्या	2	4	1	—	—	—
मार्ग सं.	311 बी	2ए,23,42,43	3ए	—	—	—
लम्बाई कि.मी.	107	133	68	97	934	1339

3. पंजीकृत वाहन

में रिक्शा	दो पहिया	जीप	कार	ट्रेक्टर	ऑटो रिक्शा	टैम्पो (यात्री)	बस	टैक्सी / मैक्सी	भार वाहन	अन्य	योग
—	25082	1296	794	10348	29	43	563	77	2691	20	40943

4. मार्ग

नगरीय मार्ग		उपनगरीय मार्ग		ग्रामीण मार्ग		अन्य मार्ग	
संख्या	वाहन	संख्या	वाहन	संख्या	वाहन	संख्या	वाहन
—	—	—	—	2	10	17	113

5. परिवहन सेवा

उप खण्ड	तहसील	राजस्व ग्राम	500 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में परिवहन सेवा		
			कुल ग्राम	नहीं जुड़े हुए	जुड़े हुए
धौलपुर	धौलपुर	192	148	98	50
	सेपउ	127	110	82	28
बाडी	बाडी	168	112	90	22
बसेडी	बसेडी	190	138	81	57
राजाखेडा	राजाखेडा	112	91	77	14
	योग	789	599	428	171

नोट

1. **राजस्व अर्जन :-** वर्ष 2004-05 में 1320.36 लाख, वर्ष 2005-06 में 1402.50 लाख एवं वर्ष 2006-07 में 1510.73 लाख राजस्व अर्जित हुआ
2. **वर्गीकृत राजस्व :-** वर्ष 2006-07 में 128.99 लाख एक मुश्त कर से, 541.34 लाख पथकर एवं विशेष पथकर, 81.09 लाख फीस से एवं 759.31 लाख प्रशमन राशि से अर्जित हुआ।
3. **चालानो की संख्या :-** वर्ष 2006-07 में 16573 भार वाहनों के चालान बनाये गये जिसमें 4642 चालान ओवरलोड से सम्बन्धित थे। ओवरलोड से 164.25 लाख राजस्व प्राप्त हुआ। कुल प्रशमन राशि 759.31 लाख अर्जित हुई।
4. **हायर एण्ड डिवाइड के चालान :-** गत वर्ष 2006-07 में हायर एण्ड डिवाइड के 623 वाहनो पर कार्यवाही की गई ओर इनसे 34.62 लाख रुपये की वसूली की गई
5. जिले में प्रायः प्रत्येक माह मुख्यालय के निर्देशन में अथवा स्वयं प्रेरित अवैध वाहनो की रोकथाम हेतु संयुक्त सघन जांच अभियान चलाए जाते है। गत वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्रत्येक माह ऐसे अभियान चलाये गये तथा ऐसे 666 अवैध वाहनो के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा उनमें 35.62 लाख रुपये की वसूली की गई।

माह अप्रैल 2007 में की 29 अवैध वाहनो के चालान किए जाकर 1.81 लाख रुपये की वसूली की गई। चालू माह मई 2007 में भी मुख्यालय के निर्देशानुसार 1 तारीख से 15 तारीख तक के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस माह में 9 तारीख तक 14 वाहनो के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर 1.34 लाख रुपये जुर्माना किया जाकर वसूल किया गया है। इसी अवधि में 688 भार वाहनो के विरुद्ध ओवरलोड व अन्य अपराधो में भी चालान बनाये गये है तथा जुर्माना राशि 20.70 लाख वसूल की गई है।

परिवहन नीति

जिला धौलपुर

धौलपुर जिला 26°.38 से 25°.65 उत्तरी अक्षांश और 77°.13 से 78°.17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसके दक्षिण में मध्यप्रदेश का मुरैना एवं ग्वालियर तथा उत्तरप्रदेश का आगरा जिला है। उत्तर-पश्चिम में राजस्थान का भरतपुर तथा पश्चिम में करोली जिला है। यहा से राष्ट्रीय राज्य मार्ग सं. 3 एवं 11 बी तथा राज्य उच्च मार्ग सं. 2ए, 23, 42, 43 गुजरते है तथा जिले में 4 उपखण्ड,5 तहसील, 4 पंचायत समिति , 153 ग्राम पंचायत एवं 821 राजस्व ग्राम है।

किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास में परिवहन साधनों की अपरिहार्यता एक सर्वविदित सत्य है अतः सम्बन्धित क्षेत्र का परिवहन सेवा से समुचित रूप में जुडा होना अति आवश्यक है यह देखा गया है कि जहाँ पर्याप्त एवं आधुनिकतम परिवहन सेवाएँ उपलब्ध है वहाँ विकास की दर अधिक होती है। सडक यातायात पर्याप्त रूप में होना किसी भी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का परिचायक है। राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के द्वारा समय समय पर इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु गांवो को सडक मार्गो से जोडा है।

अव राज्य सरकार ने ऐसे समस्त गांवो जिनकी आवादी 500 से अधिक है को सडक मार्ग से जोडने एवं उन पर परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु एक प्रस्तावित परिवहन नीति का प्रारूप उक्त की क्रियान्विति हेतु चाहा है इस क्रम में राज्य की परिवहन नीति में सम्मिलित की जाने हेतु धौलपुर जिले से सम्बन्धित विन्दू एवं प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे है।

1. जिले की वर्तमान परिवहन व्यवस्था :-

वाहन प्रकार	31.03.2007 तक पंजीकृत
भार वाहन	2691
यात्री वाहन बस/मिनी बस	563
टैक्सी/मैक्सी	77
ऑटो रिक्शा/टैम्पो	72
निजी कार/जीप	2090
दुपहिया वाहन	25082
अन्य	20

जिले में ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है। जिले में यात्री परिवहन व्यवस्था हेतु 17 मार्ग निर्धारित है जिन पर राजस्थान पथ परिवहन निगम की लगभग 73 वाहन सेवाए प्रदान कर रही है जवकी जिले में स्थित दो ग्रामीण मार्गो सहित अन्य मार्गो निजी क्षेत्र के 113 वाहन सेवाए प्रदान कर रही है जिले में 77 टैक्सी/मैक्सी कैव भी पंजीकृत है निजी एवं सार्वजनिक परिवहन सेवा के द्वारा वर्तमान में 789 राजस्व गांव में से 500 अधिक आवादी वाले कुल 599 गांवो में से 171 गांवो को परिवहन सेवा उपलब्ध है जवकी 428 गांव परिवहन सेवा से वंचित है।

2. परिवहन सेवा एवं सडक मार्ग की स्थिति :- इस जिले में केवल सडक मार्ग से यातायात सेवा उपलब्ध है। अन्तर्राज्यी सेवाओं के लिए मार्ग एन.एच.-3 से होकर वाहन गुजरते हैं व इन से माल परिवहन होता है। राजस्थान के अन्य जिलो में परिवहन के लिए अधिकतम इसी मार्ग का उपयोग किया जाता है क्योकि स्टेट हाईवे मार्ग ऊचै नीचे है व सही स्थिति में नही है। राज्य के भीतर अन्य जिलो में परिवहन हेतु सडक सेवा के लिए उपलब्ध एन.एच.-11 बी मार्ग भी सकरा मार्ग है। इस जिले में सेण्ड स्टोन को छोडकर अन्य माल का उतराव एवं लदान नही होता है। अधिकतम वाहन अन्य राज्यों में जाने के

लिए यहा से गुजर रहे मार्ग एन.एच.-3 का उपयोग करते है। धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र से पत्थर परिवहन के लिए उपयोग किया जाने वाला मार्ग एन.एच.-11 बी यदि चौड़ा कर दिया जावे तथा इस मार्ग की ऊचाई नीचाई को ठीक कर सुधार दिया जावे तो सरमथुरा से स्टोन पार्क धौलपुर के लिए प्रोसेसिंग हेतु आने वाला पत्थर जहां आसानी से आ सकेगा वही अन्य राज्यों व राज्य के अन्य हिस्सो से जुडकर उन्हे पत्थर की सप्लाई होना आसान होगा जिससे राज्य को पर्याप्त राजस्व प्राप्त होगा।

3. **ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना :-** इस जिले में धौलपुर शहर, बाडी एवं सरमथुरा के लिए ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना किया जाना भी महत्वपूर्ण है। इसमें से धौलपुर शहर के लिए नगर पालिका क्षेत्र का निर्धारण करने का प्रयास कर रही है। बाडी, सरमथुरा के लिए भी ट्रान्सपोर्ट नगर की शीघ्र स्थापना हेतु प्रयास वाछनीय है एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए बसेडी के लिए भी क्षेत्र का निर्धारण करना उचित होगा।
4. **यात्री परिवहन :-** अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर इस जिले से होकर गुजरने वाली यात्रियों के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवाएं उपलब्ध है जवकि जिले की यात्रा के लिए निजी क्षेत्र की मंजिली वाहन एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवाएं उपलब्ध है। डांग क्षेत्र के यात्रा के लिए सेवाओं की स्थिती ठीक नही है। सभी पंचायत समिति, तहसील, उप तहसील परिवहन सेवा से जुडी हुई है। डांग क्षेत्र में गांव दूर दूर होने के कारण, सडक ना होने , आवादी कम होने के कारण परिवहन सेवा उपलब्ध नही है। प्रत्येक गांव के अनुसार सेवा प्रस्तावित की गई है। मुख्य परिवहन मार्गों के आस पास 5-6 किलोमीटर तक कम आवादी वाले गांवो को मुख्य मार्गों से टेम्पो एवं ऑटो रिक्शा द्वारा जोडा जा सकता है। अधिक आवादी वाले गांवो को नवीन बस मार्ग व पुराने मार्गों में संशोधन करके जोडा जा सकता है।
प्रथम दृष्टया शेष बचे गांवो को बस सेवा से जोडना आर्थिक व व्यवसायिक दृष्टि से व्यवहारिक नही है। मुख्यतः डांग क्षेत्र में जहां परिवहन व्यवस्था अन्य क्षेत्रो की तुलना मे कम है वहा बसो द्वारा परिवहन व्यवहारिक नही है क्योकि गांव दूर है व आबादी कम है ओर आवादी का एक बडा हिस्सा काम की तलाश में अन्य क्षेत्रो, राज्यों में रहता हे अतः ऐसे ग्रामो का सर्वे कर तहसील, पंचायत समिति से जोडने के लिए टेम्पो चलाये जा सकते है जो कम आवादी, कम दूरी रूट के लिए व्यवहारिक है। इन पर करो में भी रियायत होनी चाहिये।
5. **ग्रामीण मार्गों के सम्बन्ध में अन्य सुझाव :-** ग्राम पंचायत (पटवार मण्डल) को मुख्यालय मानते हुए (वर्तमान संचालित मार्गों को छोडते हुए) सम्बन्धित ग्रामो को 10-15 किमी. पर भी तक ग्राम पंचायत से टेम्पो या आवादी ज्यादा हो तो मिनी बस से जोडा जा सकता है। इसके लिए ईंधन (पेट्रोल/डीजल) ग्रामीण क्षेत्र में नही होना समस्या हो सकती है व ईंधन भरने के लिए राज मार्ग पर जाने पर अवैध संचालन की समस्या हो सकती है। इस समस्या को दूर करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर बैरैल प्वाइंट का आवटन अधिकतम किया जा सकता है। धौलपुर मनिया कि बीच उपनगरीय सेवा चलाना भी उचित होगा।
6. **शहरी परिवहन :-** धौलपुर बाडी में ऑटो रिक्शा द्वारा नगरीय परिवहन के व्यवस्था हो सकती है क्योकि इन क्षेत्रो का अधिक विस्तार अभी संभव नही है।